# सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

**(i) समाचार तथा सम-सामयिक मामलों से जुड़े अखबारों तथा पत्रिकाओं का प्रकाशन**

**(ii) विदेशी समाचार-पत्रों के अनुलिपि संस्करणों के प्रकाशन**

## हेतु दिशानिर्देश

नई दिल्ली,

दिनांक : 31 मार्च, 2006

**प्रस्तावना**

इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2005 को जारी पिछले दिशानिर्देशों के स्थान पर केन्द्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित को अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है :-

(i) समाचार तथा सम-सामयिक मामलों से जुड़े समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं का प्रकाशन करने वाली भारतीय कम्पनियों में मान्यता प्राप्त एफआईआई द्वारा शोधित इक्विटी पूंजी के 26 प्रतिशत की सीमा तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (जिसमें अप्रवासी भारतीयों, भारतीय मूल के लोगों द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों सहित) और पोर्टफोलियो निवेशों की अनुमति।

(ii) भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशी पूंजी निवेश अथवा बिना विदेशी पूंजी निवेश के विदेशी समाचार-पत्रों का संपूर्ण अथवा आंशिक तौर पर अनुलिपि संस्करण प्रकाशित करना और साथ ही, मूल समाचार-पत्र के स्वामित्व वाली विदेशी कम्पनियों द्वारा भी इसका प्रकाशन किया जाना, बशर्ते वह भारत में कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत समाविष्ट एवं पंजीकृत हो।

एतद्द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित किए जाते हैं :

**1. आवेदन**

(i) अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत रूप से भरे गए निर्धारित आवेदन-पत्र की नौ प्रतियां सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भेजी जाएंगी।

(ii) आवेदक को डिमांड ड्राफ्ट के जरिए 5000/-रू. का आवेदन शुल्क देना होगा जो भुगतान एवं लेखाधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पक्ष में हो तथा नई दिल्ली में देय हो।

**2. प्रकाशन का शीर्ष**

मौजूदा कार्यविधि के अनुसार प्रेस रजिस्ट्रार द्वारा अनुलिपि संस्करणों सहित शीर्ष सत्यापन किया जाएगा।

**3. पात्रता शर्तें**

**क. समाचार तथा सम-सामयिक विषयों से जुड़े समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं का प्रकाशन करने वाली भारतीय कम्पनियों में विदेशी निवेश :**

(i) विदेशी निवेश की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जहां परिणामी कम्पनी (जिसे इसके बाद ''नई कम्पनी'' कहा गया है) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत एक कम्पनी हो।

(ii) विदेशी कम्पनियों, अप्रवासी भारतीयों, भारतीय मूल के लोगों आदि द्वारा एफडीआई सहित विदेशी निवेश और मान्यता प्राप्त एफआईआई द्वारा पोर्टफोलियो निवेश के बावत नई कम्पनी की शोधित इक्विटी की अधिकतम 26 प्रतिशत सीमा तक की अनुमति दी जाएगी।

(iii) अनुमति केवल उन्हीं मामलों में दी जाएगी जहां कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क में यथावर्णित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित इक्विटी को छोड़कर नई कम्पनी में वृहत्तम भारतीय शेयरधारक द्वारा धारित इक्विटी कम से कम 51 प्रतिशत हो। इस खण्ड में प्रयुक्त वृहत्तम भारतीय शेयरधारक में निम्नलिखित में से कोई एक अथवा सामूहिक रूप से शामिल होंगे :

(1) किसी व्यक्तिगत शेयरधारी के मामले में,

(क) व्यक्तिगत शेयरधारी

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अर्थ के भीतर शेयरधारी का कोई रिश्तेदार

(ग) कोई कम्पनी/कम्पनियों का समूह जिनमें व्यक्तिगत शेयरधारी/एचयूएफ जिससे वह जुड़ा हो, का प्रबंधन तथा

नियंत्रणमूलक हित हो

(2) किसी भारतीय कम्पनी के मामले में,

(क) भारतीय कम्पनी

(ख) सदृश प्रबंधन एवं स्वामित्व नियंत्रण के तहत भारतीय कम्पनियों का एक समूह

बशर्ते कि उपर्युक्त उप-खण्ड (1) तथा (2) में उल्लिखित सभी कम्पनियों के समूह अथवा किसी एक कम्पनी के मामले में सभी पक्षकारों को नई कम्पनी के प्रबंधन संबंधी मामलों में एक ईकाई के रूप में कार्य करने हेतु विधिक रूप से बाध्यकारी एक करार सम्पन्न करना होगा।

(iv) नई कम्पनी की इक्विटी में 26 प्रतिशत विदेशी निवेश की गणना करते समय, नई कम्पनी की भारतीय शेयरधारक कम्पनियों में विदेशी शेयरधारी घटक की गणना यथानुपातिक आधार पर की जाएगी ताकि नई कम्पनी में कुल विदेशी निवेश की गणना की जा सके।

(v) नई इक्विटी जारी करके कम से कम 50 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करना होगा। शेष हिस्सा अर्थात 50 प्रतिशत तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मौजूदा इक्विटी के अंतरण के जरिए किए जा सकते हैं।

(vi) अनुमति इस शर्त पर प्रदान की जाएगी कि नई कम्पनी के निदेशक मंडल के ¾ निदेशक और सभी मुख्य कार्यकारी तथा संपादकीय कर्मचारीगण भारत के निवासी हों।

**ख. विदेशी समाचार-पत्रों के अनुलिपि संस्करण**

(i) किसी भी भारतीय कम्पनी को, विदेशी निवेश अथवा बिना विदेशी निवेश के, जो विदेशी समाचार-पत्र के अनुलिपि संस्करण प्रकाशित करने की इच्छुक हो अथवा किसी भी विदेशी कम्पनी जो मूल विदेशी समाचार-पत्र की स्वामी हो, को अनुलिपि संस्करण प्रकाशित करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते

(क) वह कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार के तहत एक कम्पनी के रूप में समाविष्ट एवं पंजीकृत हो।

(ख) भारत में जिसकी वाणिज्यिक मौजूदगी हो जिसका मुख्य कारोबारी स्थल भारत में हो।

(ग) नई कम्पनी के निदेशक मंडल में से कम से कम ¾ निदेशक और सभी मुख्य कार्यकारी तथा संपादकीय कर्मचारी भारतीय निवासी हों।

(ii) कोई भी कम्पनी जो भारत में किसी विदेशी समाचार-पत्र का अनुलिपि संस्करण प्रकाशित कर रही है, उन पर भारतीय समाचार-पत्रों तथा उनके प्रकाशनों पर संगत कानून तथा दिशानिर्देश लागू होंगे।

**4. बुनियादी शर्तें/बाध्यताएं :**

(i) निर्धारित सीमा के शर्ताधीन, सभी कम्पनियों के लिए प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक तथा वित्त वर्ष समाप्त होने से 15 दिनों के भीतर विदेशी शेयरधारी पैटर्न में किसी बदलाव के बारे में सूचित करना बाध्यकारी होगा।

(ii) सभी कम्पनियों के लिए उपर्युक्त खण्ड 3क(iii) में विनिर्दिष्ट वृहत्तम भारतीय शेयरधारक द्वारा धारित शेयर में किसी परिवर्तन से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से पूर्वानुमति लेना बाध्यकारी होगा।

(iii) सभी कम्पनियों को निदेशक मंडल की संरचना अथवा मुख्य कार्यकारी तथा संपादकीय कर्मचारियों में कोई फेरबदल करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सूचित करना होगा। ऐसे बदलाव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की कार्योत्तर मंजूरी के शर्ताधीन होंगे।

(iv) सभी कम्पनियों को, नई कम्पनी में किसी विदेशी नागरिक/प्रवासी भारतीयों को परामर्शक के रूप में (अथवा किसी अन्य पद पर) एक वर्ष में 60 दिनों से अधिक अथवा नियमित कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने/नियोजित करने के बावत प्रस्ताव हेतु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।

(v) अनुलिपि संस्करण प्रकाशित करने की अनुमति निम्नलिखित शर्ताधीन दी जाएगी:

(क) मूल विदेशी समाचार-पत्र, जिसका अनुलिपि संस्करण भारत में प्रकाशित किए जाने का प्रस्ताव है, का प्रकाशन मूल देश के विनियामक प्राधिकरण के अनुमोदन से किया जा रहा है और वह उस देश का मानक प्रकाशन है तथा वह भारतीय पाठकों के लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है।

(ख) अनुलिपि संस्करण में किसी भी भारतीय से संबंधित किसी भी रूप में कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

(ग) अनुलिपि संस्करण में स्थानीय स्तर पर सृजित कोई भी सामग्री/भारत विशिष्ट सामग्री, जो विदेशी समाचार-पत्र के मूल संस्करण में साथ प्रकाशित नहीं की गई हो, प्रकाशित नहीं की जाएगी।

(घ) अनुलिपि संस्करण के प्रकाशन हेतु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से पूर्वानुमति प्राप्त की जाती है और भारतीय समाचार-पत्र के पंजीयक के पास इसके शीर्षक को पंजीकृत करवाया जाता है।

(ड.) प्रकाशन में स्पष्टतः यह उल्लेख होगा कि पूर्णतः अथवा अंशतः यह अनुलिपि संस्करण है और इसमें शीर्षक (मास्टहेड), संपादकीय पृष्ठ और मूल विदेशी समाचार-पत्र के प्रकाशन स्थान का साफ-साफ उल्लेख होगा।

**5. आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई**

(i) समाचारों तथा सम-सामयिक विषयों से जुड़े समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं का प्रकाशन करने वाली भारतीय कम्पनियों में निवेश करने हेतु सभी नए आवेदनों और विदेशी समाचार-पत्रों के अनुलिपि संस्करणों के प्रकाशन संबंधी प्रस्तावों पर गृह मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के साथ अंतर-मंत्रालयी परामर्श, जो भी अपेक्षित हो, करके सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में कार्रवाई की जाती है तथा इस संबंध में निर्णय लिया जाता है।

(ii) आवेदक कम्पनी आवेदन करते समय शेयरधारक करार तथा ऋण करार जिन्हें अंतिम रूप दिया जाता है अथवा सम्पन्न किए जाने हेतु प्रस्तावित हो, का संपूर्ण ब्यौरा देगी। इनमें किए गए किसी भी परवर्ती बदलाव के बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को इस बदलाव की तिथि से 15 दिनों के भीतर सूचित करना होगा।

(iii) आवेदक कम्पनी अनुच्छेद/संघ ज्ञापन निरूपित करेगी ताकि निर्धारित पात्रता शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(iv) सभी कम्पनियां ऐसे सभी व्यक्तियों जो भारत के निवासी नहीं हैं और जिन्हें नई कम्पनी में निदेशक मंडल में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है, के बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से पूर्वानुमति प्राप्त करेंगी।

(v) यदि आवेदक कम्पनी जिन्होंने सीमित विदेशी निवेश हेतु अनुमति प्राप्त की हो, उन निवेशकों जिनके लिए विदेशी निवेश की अनुमति प्राप्त की गई हो, को छोड़कर अन्य निवेशकों के लिए निर्धारित सीमा के भीतर निवेश बढ़ाने का प्रस्ताव करती हो तो उसे निर्धारित आवेदन-पत्र में आवेदन करना होगा।

(vi) आवेदक कम्पनियों जिन्हें सीमित विदेशी निवेश की अनुमति दी गई हो और जो उसी निवेशक से समग्र सीमा के भीतर आगे विदेशी निवेश की मांग कर रही हों, को निर्धारित आवेदन-पत्र में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि वे प्रारंभिक अनुमति मंजूर करने की तिथि से पांच (5) वर्ष के भीतर विदेशी निवेश

में वृद्धि करने की मांग करें और निदेशक मंडल अथवा करार की शर्तों में कोई परिवर्तन न हो।

(vii) पिछली अनुमति मंजूर करने की तिथि से पांच (5) वर्ष के पश्चात् उन्हीं निवेशकों से आगे निधियां प्राप्त करने हेतु आवेदक कम्पनियों को भी निर्धारित आवेदन-पत्र में आवेदन करने की आवश्यकता होगी।

(viii) अनुलिपि संस्करणों के प्रकाशन हेतु सभी आवेदनों में यह स्पष्टतः उल्लेख करना होगा कि क्या अनुलिपि संस्करण पूर्णतः अथवा अंशतः प्रकाशित किया जाएगा। यदि मूल समाचार-पत्र का केवल आंशिक रूप से प्रकाशित किए जाने का प्रस्ताव हो, प्रत्येक पृष्ठ को एक भाग समझा जाएगा और मूल विदेशी समाचार-पत्र के प्रकाशित किए जाने वाले पृष्ठों की सटीक संख्या स्पष्ट रूप से दर्शानी होगी।